राजस्व अपील सं. 2022/350 बअनवान कालुदेवी उर्फ कनिया देवी बनाम भेराराम वगैरा
अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र. अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

16/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री विक्रमसिंह सोलंकी उपस्थित। रेस्पोंडेण्ट सं. 1 व 2 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उप.। रेस्पोंडण्ट सं. 3 के अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी उप.। रेस्पोंडण्ट सं 5 की ओर से पैरोकार सरकार उप.।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं मूल अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थना अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संबंध में वकील रेस्पोंडेण्ट सं 2 श्री गणपतलाल चोधरी ने बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि धारा 75 के तहत अपील हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जबकि हस्तगत प्रकरण की पक्षकारान मीणा जाति की होने से अनुसूचित जनजाति में शुमार है जिन पर हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम लागू नही होते है। विद्वान वकील रेस्पोडैण्ट सं 1 व 2 ने अपनी दलील के दौरान न्यायालय का ध्यान हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट कर दलील दी कि जब तक केन्द्र सरकार/राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम बाबत अधिसूचना जारी नही करती तब तक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नही होत है। जिससे उक्त अपील बाल्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। बहस के दौरान अपनी दलीलों के समर्थन में रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता द्वारा कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2024(2) बाबूलाल बनाम रामसिंह में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 18 अप्रेल 2024 को पारित निर्णय की प्रति एवं आरआरडी 1988 नंदा बनाम श्रीमति बिर्धी में माननीय राजस्व मण्डल के सदस्यो द्वारा दिनांक 30 जून 1987 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। रेस्पोडेण्टस सं 3 के अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी द्वारा भी इसी आशय की दलील दी गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस में रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहाराते हुये दलील दी कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में कही पर भी स्वयं के हिन्दु होने, स्वयं के हिन्दू विधि से शासित होने एव ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वादग्रस्त भूमि में आने वाले हिस्से को प्राप्त करने हेतु पेश की है। जिससे रेस्पोडेण्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलांट स्व. भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाजी मेणा की इकलौती पुत्री होने से अपीलांट की माता नाजु के देहांत के पश्चात ग्राम सेणा स्थित भूमि खसरा नंबर 75 रकबा 0.4800 हैक्टर में 1/3 हिस्सा के हक अधिकार रखती है। परंतु अपीलांट की माता नाजु के देहांत के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं 169 दिनांक 15.09.1998 से अपीलांट की माता नाजु का नाम विलोपित करते हुये काना पुत्र चमना, भेरा पुत्र पुना 1/2 व कला पुत्र वना 1/2 कौम मेणा के नाम इन्द्राज कर दिये गये जिससे ग्राम सेणा के विवादास्पद नामांतरकरण सं 169 को अपीलांट निरस्त कराने की अधिकारीणी है जिससे उक्त अपील पेश की गई है जो विधि के किसी प्रावधानों से बाधित नही है। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पुत्री को पुत्रों के समान हक अधिकार होने से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा का हकदार होने से तथा अपीलाधिन नामांतरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त कर नये सिरे से अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा का नामांतरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांअ पक्ष श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस के दौरान कानूनी दृष्टांत एआईआर 2005 पेज 132 में पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी गई कि मृतक के संपत्ति में पुत्र-पुत्रीयों को समान हक/हिस्सा

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

मिलेगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के संबंध में दलील दी कि अपीलांट को प्रथम बार वादग्रस्त भूमि कि जमाबंदी व नामांतरकरण की प्रतियां प्राप्त करने पर दिनांक 12.09.2022 को विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी प्राप्त हुई जिस जानकारी के तुरंत पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त अपील दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय में पेश कर दी थी तथा डिले को कण्डोन किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील को अंदर अवधिकाल माना जावे तथा विवादास्पद नांमातरकरण सं 169 दिनांक 15.09.1998 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विवादास्पद नांमांतरकरण सं. 169 दिनांक 15.09.1998 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार नाजु पत्नि भुदा की मृत्यु के एश्चात काना पुत्र चमना, भेरा पुत्र पुना 1/2 व कला पुत्र वना 1/2 कौम मेणा के नाम का नामांतरकरण दर्ज करते हुये स्वीकृत किया गया एवं नाजु पत्नि भुदा के हिस्सा 1/3 हिस्सा को विलोपित कर कला पुत्र वना में मर्ज कर दिया जो नामांतरकरण प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। तथा नामांतरकरण बिना किसी जांच के व पंचायत प्रस्ताव के दाखिल व स्वीकृत किया जाना ज्ञात है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को होते ही तुरंत पश्चात हस्तगत अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाने से उक्त अपील को अंदर अवधि काल माना जाता है। प्रस्तुत अपील अंदर अवधिकाल होने से गुणावगुण पर प्रकरण का परिक्षण करने पर ज्ञात है कि अपीलांट स्व. भुबा पुत्र पेमा की इकलौती पुत्री है तथा वर्णित भूमि अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी माता नाजु के नाम 1/3 हिस्सा में बतौर सहखातेदारी दर्ज हुई है जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत एआईआर 2005 में प्रतिपदित सिंद्धांत के अनुसार अपीलांट स्व. भुदा उर्फ भुबा पुत्र पेमाराम की पुत्री होने अपनी माता नाजु के देहांत के पश्चात वादग्रस्त भूमि सेणा बाहरी क्षेत्र के खसरा नंबर 75 रकबा 0.4800 हैक्टर के हिस्सा 1/3 हिस्सा में नाजु बेवा भुदा के स्थान पर बतौर सहखातेदार दर्ज कराने की अधिकारीणी थी परंतु विवादास्पाद नांमांतरकरण सं 169 से अपीलांट का नाम ही दर्ज नही किया गया है जिससे अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम सेणा का नामांतरकरण सं 169 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम सेणा(बा.क्षे) स्थित भूमि खसरा नंबर 75 रकबा 0.4800 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत विवादास्पद नामांतरकरण सं 169 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषण कर निर्देश दिये जाते है कि नामांतरकरण सं 169 को निरस्त करते हुये स्व भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाराम की पत्नि नांजु के फौत होने के समय स्व. भुबा पुत्र पेमाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हूये नये सिरे से नामांतरकरण दायर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण सं 169 की प्रति तहसीलदार बाली को आदेश के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner